जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 66वीं बैठक दिनांक 27-9-2004 को सायं 5.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 से 3 नगर नियोजक (बीपीसी) एवं एजेण्डा सं0 4 वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) द्वारा तैयार किया गया जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री डी.आर.मीणा, कार्यवाहक सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री वी.एम. कपूर, अति.आयुक्त भूमि (पूर्व) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट)जविप्रा, जयपुर।
2. श्री पी. अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
3. श्री आर.डी. मीणा, उपायुक्त जोन-5, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री संग्राम सिंह, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
5. श्री एस.एन. तिवाडी, उपायुक्त जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती नलिनी कटौतियां, उपायुक्त जोन-9, जविप्रा, जयपुर।
7. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
8. श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक (प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री देवेन्द्र सैनी, सहायक नगर नियोजक, जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
11. श्री सुरेन्द्र सिंह, उप रजिस्ट्रार(सहकारिता) जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा सं0 1 :- गणपति गृ.नि.स.समिति की योजना बालाजी विहार-15, ग्राम-मुरलीपुरा के अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं उनके द्वारा बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना को अनुमोदित किया जावे तथा एच.टी. लाईन से प्रभावित होने वाले भूखण्ड सं0 19 से 21, 24 से 26, 30 व 31 कुल 8 भूखण्डों को अनुमोदित नहीं किया जावे। योजना काफी छोटी है जिसमे सुविधा क्षेत्र का सृजन किया जाना सम्भव नही है। अत: योजना के मध्य स्थित 25फिट चौडी सडक को 30फिट किया जाकर आवासीय क्षेत्रफल 64 प्रतिशत रखा जाकर मानचित्र जारी किया जावे।

एजेण्डा सं0 2 :- गणपति गृ.नि.स. समिति की योजना बालाजी विहार-10 ग्राम-माचडा के अनुमोदन बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि योजना का भू उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार सरकारी व अर्द्वसरकारी कार्यालय दर्शाया गया है जिसे

नियमानुसार आवासीय भू उपयोग में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जावे एवं योजना के मध्य स्थित 25फिट रोड (भूखण्ड सं0 13 से 19 व 12 से 41 के मध्य) को 30फिट एवं 30फिट रोड (भूखण्ड सं0 42 से 60 व 19 से 31 के मध्य) को 40फिट रखा जावे। योजना में प्रस्तावित दुकानों को अनुमोदित नहीं किया जा सकता है। इस भूभाग में से 10 फिट चौडी भू-पट्टी सम्पूर्ण लम्बाई में सब्जी विक्रेता (स्पेस फोर वेजिटेबल वेण्डर्स) के लिए आरक्षित रखा जावे। शेष 8 फिट चौडी भू-पट्टी को सडक का ही भाग रखा जाकर संशोधित मानचित्र सहकारी समिति से लिया जावे। संशोधित मानचित्र प्राप्त होने पर मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे।

एजेण्डा सं0 3 :- आदर्श गृ.नि.स. समिति की योजना रत्नापुरी के सामने अजमेर रोड की चौडाई के निर्धारण बाबत।

उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि रत्नापुरी योजना के सामने अजमेर रोड की चौडाई मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार 160फिट ही रखी जावे एवं माननीय अपीलीय अधिकरण के निर्देशों/निर्णयों के परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की जावे।

एजेण्डा सं0 4 :- लक्ष्मी गृ.नि.स. समिति की योजना चेतन विहार के अनुमोदन के संबंध में।

प्रकरण को समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया। विचार-विमर्श पश्चात् भूखण्ड संख्या 1 का अधिकांश भाग सडक में आने के कारण इस भूखण्ड को अस्वीकृत करने तथा उत्तर की ओर सडक की चौडाई 30'-0" व पूर्व की ओर सडक की चौडाई 40'-0" रखते हुए भूखण्ड संख्या 2 व 3 को स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 156
दिनांक :- 15/10/2004

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।